न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्याः प्रा0 पत्र/टी.ए/5875/2002/बीकानेर

राजस्थान सरकार जरिये उप–निवेशन तहसीलदार, कोलायत नम्बर–2, मु0 बज्जू जिला बीकानेर, प्रभारी अधिकारी।

–– प्रार्थी

बनाम

1. सुश्री प्रमोद कंवर पुत्री बख्तावर सिंह राजपूत साकिन बरसलपुर तह0 कोलायत जिला बीकानेर
2. विक्रमसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत साकिन बरसलपुर तह0 कोलायत जिला बीकानेर

–– अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी.एल.नवल, सदस्य

उपस्थितः
(1) श्री आर.के.गुप्ता, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
(3) श्री भवानीसिंह, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांकः 02 जनवरी, 2013

1– यह प्रार्थना पत्र धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त, उपनिवेशन, कोलायत द्वारा प्रकरण संख्या 22/87 में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–11–87 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा एक वाद अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92 ए व 15–एएए सपठित धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत सहायक आयुक्त

उपनिवेशन, कोलायत के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या – 2 के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी मुरम्बा नबर 94/32 किला नम्बर 1 से 4, 6 से 19, 23 से 25 मुरबर नम्बर 94/40 किला नम्बर 11, 12, 18 से 24 कुल रकबा 30 बीघा वाके ग्राम बरसलपुर हाल चक 6 सी.डी. वादिया की पुश्तैनी कब्जे काश्त की है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अंकित है। उक्त आराजी पूर्व में बरसलपुर रियासत में स्थित थी । प्रतिवादी संख्या 2 व 2 के पिता जागीरदार थे जिनसे भूमि काश्त पर ली थी, तब से लगातार कब्जा काश्त वादिया व वादिया के पिता का ही रहा है। सम्वत् 2012 एवं उससे पूर्व से वादिया का कब्जा काश्त है। सम्वत् 2012 में वादिया के नाम आराजी अंकित होनी चाहिए थी क्योंकि वादिया अपने पिता की जायज वारिस है परन्तु समरी रेकार्ड में सही नाम अंकित नहीं होने के कारण सम्वत् 2017 में बन्दोबस्त के दौरान वादिया का नाम रेकार्ड में दर्ज नहीं किया गया जब कि मौके पर कब्जा काश्त वादिया का है । प्रतिवादी संख्या 2 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद हेतुक दिनांक 05–01–1987 को तहसीलदार से रेकार्ड में नाम अंकित करने की कहने पर एवं तहसीलदार द्वारा इन्कार करने से होना बताते हुये वादपत्र के जरिये अनुतोष चाहा कि घोषणा की जाये कि वादिया को वादग्रस्त आराजी बॅटवारे में मिली है और मौके पर वादिया का कब्जा काश्त है, वादिया के पक्ष में बतौर गैर खातेदार अंकित की जाये व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम रेकार्ड से कलमजन किया जाये।

3– राज्य सरकार ने अपने जवाबदावे में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादिया या वादिया के पिता का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । समरी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 में विक्रम सिंह पुत्र कानसिंह का नाम दर्ज है । प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से प्रकरण में इकबाल जबाब दावा पेश किया गया। न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं तत्पश्चात अपने निर्णय दिनांक 23–11–1987 के द्वारा वाद वादीया डिक्री किया।

4– उक्त डिक्री दिनांक 23–11–1987 को निरस्त कराने हेतु अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल में रेफरेंस करने हेतु एक प्रार्थना पत्र सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा कलेक्टर एवं उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ने पक्षकारान को सुनकर अपने आदेश दिनांक 04–11–1996 से खारिज कर दिया।

5— तत्पश्चात कार्यालय आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के द्वारा प्रकरण का विधिक परीक्षण कराये जाने के फलस्वरूप दिये गये निर्देशों की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत द्वारा राजकीय अभिभाषक के माध्यम से वर्तमान प्रार्थना पत्र अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर मण्डल में अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवादग्रस्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की गई है।

6— उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

7— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेजी सबूत के एक कृषक की भूमि को दूसरे कृषक के नाम अंकित करने की डिक्री पारित की है, जो कानून की भावना, लोक नीति एवं राज्यहित के विपरीत है। उनका तर्क है कि यह डिक्री दुरभिसंधि का परिणाम है, जो एक प्रकार से भूमि हस्तान्तरण की श्रेणी में आती है जिससे राज्य हित प्रभावित होता है। अतः अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत प्रदत्त अन्तनिर्हित शक्तियों को प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23—11—1987 को निरस्त किया जावे।

8— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त डिक्री के बाबत पूर्व में राज्य पक्ष की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र को कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि प्रकरण दो निजी पक्षकारों के मध्य का हैं तथा इसमें राज्य हित निहित नहीं है और लोकनीति का उलघंन नहीं हुआ है। अतः अब अधिनियम, 1955 की धारा 221 की शक्तियों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष का यह भी कथन है कि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा दिनांक 23—11—87 को पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और इस विलम्ब के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है अतः यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 221 अधिनियम, 1955 अवधि पार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का दावा डिक्री करने में कोई त्रुटि नहीं की है क्योंकि अधिनियम, 1955 की धारा 15—ककक (8) के प्रावधानानुसार दावा केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी डिक्री किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि सम्वत 2012 के राजस्व अभिलेख में यदि किसी काश्तकार का नाम अंकित भी नहीं हो तो भी धारा 15—ककक, अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं।

अधिनियम, 1955 की धारा 14 एवं 17 के प्रावधानों के अनुसार गैर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते हैं। अन्त में उनका तर्क है कि यदि राजकीय पक्ष विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित एवं व्यथित है तो उसे अपील, रिवीजन या रिव्यू के माध्यम से सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए, राजकीय पक्ष की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में 2010 RRD 688ए 2010 RRD 741 ए 2007 RRD 187 और 2009 RBJ 148 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं।

9— प्रत्युत्तर में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु माननीय न्यायालय के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है अर्थात् ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई अवधि—सीमा निर्धारित नहीं है। अप्रार्थीगण—वादीगण द्वारा दावे में जो कथन किये गये हैं उनकी पुष्टि में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व डिक्री पारित किया है वह बिना किसी आधार के, लोकनीति के विरूद्व व राज्यहित को प्रभावित करने वाली होने से राजस्व मण्डल में अन्तनिर्हित शक्तियों को प्रयोग करते हुए निरस्त की जावे।

10— हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी गहनता से अध्ययन व मूल्यांकन किया गया।

11— राज्य पक्ष की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर सहायक आयुक्त, कोलायत द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23—11—87 को निरस्त करने का निवेदन किया है। प्रकरण के पूर्ण विवेचन हेतु उक्त धारा 221 का अवलोकन कर लिया जाना समीचीन है, जो कि निम्नानुसार हैः—

Rajasthan Tenancy Act, 1955

"221. **Subordination of revenue Courts.-** The general superintendence and control over all revenue courts shall be vested in, and all such courts shall be subordinate to the Board; and subject to such superintendence, control and subordination-

(a) deleted

(b) all Additional Collectors, Sub-Divisional Officers, Assistant Collectors and Tehsildars in the district shall be subordinate to the Collector thereof,
(c) all Assistant Collectors, Tehsildars and Naib-Tehsildars in the a sub-division shall be subordinate to the Sub-Divisional Officer thereof, and
(d) all Additional Tehsildars and Naib-Tehsildars in a Tehsil shall be subordinate to the Tehsildar thereof.

राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्णय, डिक्री आदि के विरुद्ध अपील के प्रावधान अधिनियम, 1955 की धारा 223 एवं 224 में है, जो कि निम्न प्रकार हैंः–

223. Appeals from Original Decree.- An appeal shall lie from an original decree-

(1) to the Collector if such decree is passed by a Tehsildar, and

(2) to the (Revenue Appellate Authority)`if such decree is passed by an Assistant Collector, a Sub Divisional Officer or a Collector.

224. Appeals from Appellate Decrees.-

(1) An appeal shall lie to the (Revenue Appellate Authority) from a decree passed in appeal by a Collector.

(2) An appeal shall lie to the Board from a decree passed in appeal by (Revenue Appellate Authority)`on any of the following grounds, namely:-

(i) the decision being contrary to law or to some usage having the force of law;
(ii) the decision having failed to determine some material issue of law or usage having force of law;
(iii) a substantial error or defect in the procedure provided by or under this Act or by any other law for the time being in force, which may possibly have produced an error or defect in the decision of the case upon the merits; and
(iv) the decision being contrary to weight of evidence on record where the lower appellate court has varied or reversed any finding of the trial court on a question of fact.

12— अधिनियम, 1955 की उक्त धारा 221, 223 एवं 224 के प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 223 (2) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को हैं। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन को राजस्व अपील प्राधिकारी की शक्तियां प्रदत्त है और सहायक आयुक्त, उपनिवेशन को उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां प्राप्त है। तात्पर्य यह कि अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी को सहायक आयुक्त उपनिवेशन द्वारा पारित आदेश, निर्णय, डिक्री आदि के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत द्वितीय अपील राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

13— आलोच्य निर्णय दिनांक 23—11—87 के अवलोकन से जाहिर है कि इस निर्णय से वादग्रस्त भूमि के बाबत् वादीया का वादपत्र डिक्री किया गया है । प्रतिवादी एवं वादी— दोनों ही निजी व्यक्ति हैं। इस प्रकार यह प्रकरण स्पष्टतः राजकीय भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को विधि विरूद्ध अधिकार प्रदत्त कर देने से संबंधित नहीं है, अपितु पूर्णत एक निजी वाद है। कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर ने भी रेफरेन्स प्रकरण संख्या 62/92 निर्णय दिनांक 04—11—96 में यही माना है कि प्रकरण दो निजी पक्षकारो के मध्य का है, जिसमें राज्य पक्ष का हित अथवा लोकनीति के उल्लंघन का बिन्दु निहित नहीं है। इसी आधार पर जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त, उपनिवेशन बीकानेर द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही बन्द की गयी है।

14— अधिनियम, 1955 की धारा 221 के प्रावधान अनुसार सभी राजस्व न्यायालय राजस्व मण्डल के सामन्य अधीक्षण (Superintendence) एवं नियन्त्रण (control) में है और वे मण्डल के अधीनस्थ न्यायालय (subordinate Courts) माने गये हैं। प्रश्न यह है कि क्या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा नियमित वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री में अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल को प्रदत्त अधीक्षण एवं नियन्त्रण के अधिकार के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सकता है ? इस बिन्दु पर श्रीमती प्रमिला एवं अन्य के प्रकरण 2010 RRD 36 में मण्डल की एकल पीठ द्वारा 1993 RRD 683 और 1993 RRD 446 पर चर्चा करते हुये यह प्रतिपादित किया है कि धारा 221 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग न्यायिक आदेशों में हस्तक्षेप करने हेतु नहीं किया जा सकता है। 1993 RRD 683 में प्रतिपादित सिद्धान्त निम्न प्रकार हैः—

"Rajasthan Tenancy Act Section 221- This Section confers on the Board, the powers of general superintendence and control over all revenue Courts to ensure justice upto the highest level. It empowers the Board to set aside the orders of subordinate courts where breach of law is committed and the error is apparent on the face of record. Such powers would not be exercised where plaintiff or the defendant or any aggrieved party which had a remedy by way of appeal or revision but failed to avail of it. This power is to be used sparingly where grave injustice committed by the lower Courts is brought to the notice of the Board. It can not be exercised to help a negligent party which has lost its rights or having availed of the right, has failed to secure the desired relief."

इसी प्रकार 1993 RRD 446 में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 9 के संदर्भ में, जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अनुरुप ही है, यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां अपील या निगरानी के माध्यम से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, वहां सामान्य तौर पर धारा 9 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की असाधारण शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिये।

माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सुरेन्द्र सिंह व अन्य बनाम किस्तूरी व अन्य के निर्णय दिनांक 05–08–2008, 2009 (2) RRT 1094 में अधिनियम 1955 की धारा 221 के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया है कि राजस्व मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियां किसी न्यायिक आदेश एवं डिक्री में परिवर्तन के लिए काम में नहीं ली जा सकती हैं। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का पेरा 8 निम्न प्रकार हैः–

"The power of Board under Section 221 is not akin to the power of the High Court as provided under Article 227 of the Constitution. In the Scheme of 1955 Act there is clear demarcation of the judicial and administrative powers of the Board. While Section 230 provides for the judicial power, Section 221 confers only administrative power and in exercise of administrative power no decree or judicial order could be set aside. The apex Court in Devi Singh Vs Board of Revenue Rajasthan (supra) also indicated that in the face of the provisions under Section 222 to 229 the power of general superintendence under Section 221 could not be exercised."

उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों का सारांश यही है कि जहां अपील या निगरानी के माध्यम से वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, वहां सामान्य तौर पर धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अथवा धारा 9 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व

मण्डल को प्रदत्त असाधारण शक्तियां किसी न्यायिक आदेश एवं डिक्री में परिवर्तन के लिये काम नहीं ली जा सकती हैं।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीपक्ष द्वारा उदधृत 2009 आर0बी0जे0 पृष्ठ 148 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 और राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रकरण घनश्यामसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में निर्णय दिनांक 24–09–2008 में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है किः–

"Inherent and wide powers conferred under Section 221 of the Tenancy Act could not be lightly invoked and disposed of to set aside a validly granted decree in a suit by the competent Court of Additional Collector which became final, without resort to appellate and revisional channel provided under the Act. The power of superintendence and control over the Revenue Courts of course including over the Court of the Assistant Collector also, is the residuary power and does not confer the Board of Revenue with power to set aside the decree granted by the Assistant Collector in light manner. Wider the power greater is the circumspection required."

मण्डल की एकल पीठ द्वारा राज्य सरकार बनाम नारायण एवं अन्य के प्रकरण 2010 RRD 688 में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 में प्रथम अपील का और धारा 224 में द्वितीय अपील का प्रावधान है तो सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय में धारा 221 अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रदत्त असाधारण शक्तियों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 2010 RRD 741 में भी दिनांक 28–07–2010 को पारित निर्णय में मण्डल की एकल पीठ द्वारा इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया है।

15– सहायक आयुक्त द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 23–11–87 को पारित किया गया है। निर्णय पारित करते समय राज्य सरकार पक्षकार थी एवं उसके द्वारा अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया गया था। नियमों में सहायक आयुक्त द्वारा पारित निर्णय की अपील का प्रावधान होते हुए भी सर्वप्रथम इस निर्णय को निरस्त करवाने हेतु वर्ष 1992 में रेफरेंस की कार्यवाही शुरू की गई, जो स्पष्टतः तत्कालीन संबंधित अधिकारीगण द्वारा विधिक प्रावधानों के विपरीत की गयी थी, क्योंकि राज्यहित निहित नहीं होने एवं लोकनीति के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं होने से तथा दो निजी पक्षकारों के मध्य प्रकरण होने से रेफेरेंस विचारणीय ही नहीं था। इसी कारण जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त, उपनिवेशन बीकानेर द्वारा

उक्त रेफेरेंस को अस्वीकार कर दिया गया। दिनांक 04–11–1996 को रेफरेंस कार्यवाही बन्द कर दिये जाने के उपरान्त भी दिनांक 14–10–2002 को यह प्रार्थना पत्र अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत मूल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–11–87 से लगभग 14 वर्ष से भी अधिक समय के बाद पेश किया गया है, जिसे किसी भी दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता। सहायक आयुक्त ऐसी डिक्री पारित करने हेतु सक्षम न्यायालय है तथा उनका निर्णय क्षेत्राधिकार के अन्दर व कानूनी प्रावधानों के अनुसार है। यह निर्णय राज्यहितो के विपरीत भी नहीं माना जा सकता। यहां यह भी कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है कि पक्षकारान ने धोखे से किन्हीं तथ्यों को छिपाकर बदनियती–पूर्वक यह निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई कारण विद्यमान नहीं हैं।

16– धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि धारा 221, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल एवं केवल ऐसे प्रकरण ही लिये जाने चाहिए जहां वैकल्पिक उपचार का प्रावधान उपलब्ध नहीं हो। वर्तमान प्रकरण में प्रार्थनापत्र में यह भी कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है कि यह धारा 223 एवं 224 में अपील के प्रावधान होते हुये भी आलोच्य निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अपील क्यों प्रस्तुत नहीं की गयी थीं। अतः कानून की स्पष्ट व्यवस्था एवं पूर्व पेरा में उदधृत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में वर्तमान प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 की असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

17– उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.नवल)
सदस्य